

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का किताब (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी अतिपुर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्वास्थ्य विडम्बनी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 603 दिनांक 29/06/2020

पार्थी दीपक चन्दवानी डा. 00000 आसन रास

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय प्लॉट नं० = 34 (मूलका भाग) क्षमता

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश संख्या 136/3 जमा इवमना, जी.एम.

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 19687/- जमा नगर सेक्टर - ए

जारीये रसीद संख्या 2062/6440, 6441

दिनांक 29/06/2020 को जमा करा दी है ।

दिनांक 29/06/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

20/06/2020
8619311494

जी + 1
आवासीय